

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

36 पुड़िया में 360 मिलीग्राम हेरोईन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अबैध शराब व गाँजा की बरामदगी व गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 01.07.2021 को शाहपुर मोड़ व हद ग्राम पूना पोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से एक नफर अभियुक्त राजू सोनकर पुत्र विश्वनाथ सोनकर सा० पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को 36 पुड़िया में 360 मिलीग्राम हेरोईन के साथ समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाना पर मु०अ०सं० 91/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रह है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त राजू सोनकर पुत्र विश्वनाथ सोनकर सा० पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

36 पुड़िया हेरोईन वजन 360 मि०ग्रा० व 130/- रूपया नगद

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 91/2021 धारा 8/21 NDPS ACT. थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व०उ०नि० शमशेर यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का० अश्वनी यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का० संदीप यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

छपरा सुल्तानपुर मे जाम लगा कर पुलिस पर पथराव करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 01.07.2021 को निरीक्षक अपराध दिनेश यादव मय हमराह रि०का०अरुण कुमार गौतम रि०का०अजय पाठक, का० अंकित पाल व का० सूजीत कुमार के मु०अ०सं० 118/2021 धारा 147/148/149/151/152/153/ 186/323/ 504/506/ 435/336/353/332/333/307/308/427/341/325 भादवि व 7 सीएलए एक्ट मे वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु इमिलिया बाजार मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोती लाल पुत्र स्व बंधू सा० छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है तथा जो विडियो व फोटो मे है वह गैर एजेन्सी के समाने खडा है और कही भागने की फिराक मे है कि इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मय मुखबिर के इमिलिया बाजार से प्रस्थान कर छपरा सुल्तानपुर गैस एजेन्सी से थोड़ा पहले पहुँचकर अपने वाहने को खड़ा किया जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से गैस एजेन्सी के पास खडे व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्त है। हटबढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरकर भागने का मौका ना देते हुए उक्त व्यक्ति को वही पर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोती लाल पुत्र स्व० बन्धू राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष बताया जिसे घटना के दिन पुलिस पार्टी के साथ रहे का० अंकित पाल द्वारा पहचान किया गया तथा फोटो मे भी पहचान कराया गया व बताये कि साहब उस दिन इस व्यक्ति द्वारा काफी उग्र होकर पुलिस पार्टी पर पत्थर व हमला किया गया था। जिससे भागने का कारण पूछा गया तो बताये की साहब जो छपरा सुल्तानपुर मे पुलिस पर पथराव व लडाई झगडा व रोड जाम हुआ था उसमे पुलिस मुझे तालश कर रही है। जिसमे मे पुलिस से बचने हेतु अपनी रिश्तेदारी मे जा रहा था कि पता नही आप लोग कहा से आकर मुझे पकड लिये। कारण गिरफ्तारी बताकर समय

करीब 10.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

मोती लाल पुत्र स्व० बन्धू राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०स० 118/21 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/353/ 332/333/  
307/308/427/325/341/435 भादवि० व 7 CLA Act

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. निरी० अपराध दिनेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का० सुजीत कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का० अकित पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का० अजय पाठक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का० अरुण कुमार गौतम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल  
कार्यवाही की गयी है।\*

33 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की